

## अध्याय II

### बकाया की वसूली

#### 2.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कर प्रशासन अभिकल्पित करता है कि निर्धारिती देय शुल्क का स्व-निर्धारण करते हैं तथा शुल्क के भुगतान के पश्चात विभाग को विवरणी प्रस्तुत करते हैं। विभाग निर्धारितियों द्वारा भरी गई विवरणियों की संवीक्षा करता है तथा शुल्क के कम उदग्रहण/उदग्रहण न होने के किसी मामले में, राशि की वसूली के लिए मांग सह कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करके कार्रवाई करता है। फिर एससीएन को उचित प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णित किया जाता है। मूलरूप से आदेशों (ओआईओ) अथवा अन्य अपीलीय आदेशों (ओआईए), न्यायाधिकरण आदेशों तथा न्यायालय के आदेशों के आधार पर विभाग के पक्ष में मांगों के सत्यापन के कारण निर्धारिती से वसूली योग्य कोई राशि परन्तु जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान न किया गया हो, बकाया बन जाती है।

राजस्व बकाया निम्नलिखित के परिणामस्वरूप हुआ:

- अधिनिर्णय प्राधिकारी द्वारा मांगों का सत्यापन होना
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती की अपील की अस्वीकृति होना।
- पूर्व जमा की शर्त के साथ स्थगन आवेदन को अनुमति देना
- न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में आदेश।

बकाया की वसूली राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सेवा कर में बकायो की वसूली की चर्चा करने वाला प्रमुख सांविधिक प्रावधान निम्नानुसार है:


वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 सेवा कर अधिकारियों को बकायों की वसूली के लिए मांग जारी करके तथा निर्धारिती के साथ मामला बागे बढ़ाने का अधिकार प्रदान करती है।

यदि धारा 73 के तहत वसूली न हो तो अन्य धारा 87 विभाग को सुधारात्मक कार्रवाई जैसे चूककर्ता को देय राशि की कटौती करके, चल अथवा अचल सम्पत्ति को रोककर अथवा देयो की वसूली के लिए जिला कलेक्टर को मामला भेजकर जैसाकि ये भूमि राजस्वों का एक बकाया थे, करने का अधिकार प्रदान करती है।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 83 अनुबंधित करती है कि समय-समय पर लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की कुछ धाराएं सेवा कर पर भी लागू होंगी।

बकायो की वसूली की प्रक्रिया चूककर्ता के प्रति मांग की पुष्टि के साथ आरम्भ होती है तथा इसमें अधिकतर अपीलीय मंच सम्मिलित है जिसमें निर्धारिती के साथ-साथ विभाग भी अपील के लिए जा सकता है। बकायो की वसूली की प्रक्रिया निम्नलिखित फ्लोचार्ट में दर्शाई गई है:


## चार्ट 2.1 बकायो की वसूली की प्रक्रिया



## 2.2 बकाया का वर्गीकरण

बकायो को दो प्रमुख वर्गों अर्थात् वसूली योग्य तथा आशोध्य बकायों में बांटा गया है। वसूली योग्य बकायो को चार्ट में विस्तृत अनुसार अवरूद्ध, बाधारहित तथा बट्टे खाते में डालने योग्य के रूप वर्गीकृत किया गया है:

## चार्ट 2.2: बकायो का वर्गीकरण



### 2.3 संगठनात्मक संरचना

सीबीईसी में बकायो की वसूली के संदर्भ में कार्यों को वसूली हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं तथा कार्य बल के बीच निम्नानुसार बांटा गया है:

क्षेत्रीय संरचनाएं

- रैंज:** रैंज सबसे निचले स्तर की क्षेत्रीय संरचना है जिसे बकायों तथा अपीलो से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करने, वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने तथा उच्च अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।
- डिविजन:** डिविजन अधिकारियों (सहायक/उप आयुक्त) को पर्यवेक्षी रैंज अधिकारी का कार्य सौंपा गया है तथा वह सुनिश्चित करता है कि वे

निर्धारित नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्य का निष्पादन करें।

- iii. **आयुक्तालय:** बकायो की वसूली क्षेत्राधिकारी आयुक्तों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्हें बकायो की वसूली के संदर्भ में रेंज तथा डिविजन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा तथा उसे मॉनीटर करना अपेक्षित है। इसके अलावा, उन्हें स्थगन आदेशों की छूट, सीईएसटीएटी/न्यायालय मामलो की शीघ्र सुनवाई के लिए फाइलिंग, चूककर्ताओं की सम्पत्ति की जब्ती के लिए कार्रवाई करना तथा औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण (बीआईएफआर)/ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)/कार्यालयी परिसमापक (ओएल) आदि हेतु बोर्ड में लम्बित मामलो की अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से वसूली सेल की प्रगति और निष्पादन पर नजर रखना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के कार्य करने होंगे।
- iv. **वसूली सेल:** वसूली सेल क्षेत्राधिकारी आयुक्त के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अन्तर्गत परिचालन करता है। वसूली सेल के प्रमुख कार्य चूककर्ताओं को नोटिस देना, सार्वजनिक नीलामी द्वारा चूककर्ता की सम्पत्ति की जब्ति तथा बिक्री करना तथा बकायो के संबंध में आयुक्तालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजना है।

### **वसूली हेतु कार्य बल**

बोर्ड (अगस्त 2004) ने बकायो की वसूली के प्रति सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रयासों से समन्वय करने, सुविधाजनक बनाने, मॉनीटर करने तथा पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्को के लम्बित बकायो की वसूली के लिए एक केन्द्रीयकृत कार्य बल का गठन किया। कार्य बल की अध्यक्षता दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, वडोदरा तथा नागपुर में छः प्रमुख अधिकारी टीएआर के साथ नई दिल्ली में स्थित प्रमुख आयुक्त कर बकाया वसूली (टीएआर) द्वारा की जाती है।

कार्य बल को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- राजस्व बकायो की सीमा की समीक्षा
- वसूली हेतु नीति का गठन तथा क्रियान्वयन।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के प्रयासों की मॉनीटरिंग।

दिनांक 11 अगस्त 2004 की ओएम संख्या फाइल संख्या 296/34/2004-सीएक्स 9 (पीटी) के अनुसार, जोनल प्रमुख आयुक्त अधिक राजस्व (अर्थात् सीईएसटीएटी के समक्ष लम्बित ₹ एक करोड़ से अधिक बकाया) के संभावित मामलो, अपील मामलो तथा अन्य मामलो को निर्धारित करने तथा प्रधान अधिकारी को सूचना प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रधान अधिकारी को ऐसे वसूली मामलो के निपटान हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं को आवश्यक निर्देश देने तथा इसकी प्रगति को मॉनीटर करने के लिए नीति बनानी है।

## 2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विशिष्ट विषय अनुपालन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का निर्धारण करने की मांग की जाती है:

- देयों की वसूली से संबंधित वर्णित नियमों तथा विनियमों के साथ-साथ विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन का स्तर
- बकायो की वसूली के संदर्भ में मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता।

## 2.5 लेखापरीक्षा कवरेज

हमने प्रमुख आयुक्त (टीएआर) के कार्यालय तथा इसके तहत सभी छः प्रमुख कार्यालयों तथा सेवा कर का निपटान करने वाले कुल 117 आयुक्तालयों<sup>15</sup> में से 32 आयुक्तालयों के अभिलेखों की जांच की। 2012-13 से 2014-15 तक की समयावधि को कवर किया गया।

---

<sup>15</sup> अक्टूबर 2014 में सीबीईसी द्वारा क्षेत्रीय संरचनाओं की पश्च पुनः संरचना।

## 2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने बकायो की वसूली में सम्मिलित विभिन्न चरणों अर्थात् रेंज कार्यालयों को ओआईओज की सूचना, वसूली प्रक्रियाओं का आरम्भ करने, शीघ्र सुनवाई का आवेदन करने, वसूली सेल को मामलों का स्थानांतरण तथा बकाया मामलों की स्थिति के अद्यतन में असामान्य विलम्ब के मामले पाए। हमने मामलों की स्थिति जानने के लिए तंत्र के अभाव, टीएआर में अपील रजिस्टर के साथ-साथ सुसंगत अभिलेखों/डाटा के अनुचित अनुरक्षण, जोनल टीएआर द्वारा नीति का गठन न होने, टीएआर द्वारा आयुक्तालयों का अनुचित निरीक्षण आदि भी पाया। इन अवलोकनों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

## 2.7 बकाया की वसूली के संबंध में विभागीय निष्पादन

सेवा कर बकायो की वसूली के संदर्भ में वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान विभाग के निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.1: पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा कर बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष की समाप्ति तक लम्बित बकाया			
			स्थगित	अस्थगित		
				अवरूद्ध	वसूलीयोग्य	बाधारहित गैर-वसूलीयोग्य
2012-13	22,013.85	5,836.42	17,897.94	25,881.29	2,935.37	518.87
2013-14	47,233.47	1,231.82	35,080.29	25,671.64	9,089.78	1,415.78
2014-15	71,257.49	900.70	45,805.94	6,525.85	2,102.63	5.07

स्रोत: निष्पादन प्रबंधक महानिदेशक द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2015 की पत्र सी संख्या सीसी (टीएआर) 48/2015-14408 द्वारा प्रदत्त सूचना

यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 के आरम्भ में सेवा कर बकाया 2012-13 की तुलना में **तीन गुना** हो गया। हालांकि बकायो की वसूली ने पिछले तीन वर्षों में वृद्धि प्रवृत्ति दर्शाई है। वर्ष के प्रारम्भ में बाधारहित वसूलीयोग्य बकायो की प्रतिशतता जो 2013-14 के दौरान 42 प्रतिशत थी, के रूप में वर्ष के दौरान वसूली 2014-15 के दौरान 10 प्रतिशत ही हुई।

32 चयनित आयुक्तालयों जिन्होंने पिछले तीन वर्षों का पूर्ण डाटा प्रदान किया था, में से 22 आयुक्तालयों का निष्पादन तालिका 2.2 में दिया गया है। चूंकि

शेष दस आयुक्तालयों<sup>16</sup> के निष्पादन के संदर्भ में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

**तालिका 2.2 : पिछले तीन वर्षों के दौरान 22 चयनित आयुक्तालयों का निष्पादन (₹ करोड़ में)**

वर्ष	वर्ष की शुरुआत में बकाया	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष की समाप्ति तक लम्बित बकाया			
			स्थगित	अस्थगित		
				अवरुद्ध	बाधारहित	
					वसूलीयोग्य	गैर-वसूलीयोग्य
2012-13	5,458.53	158.68	3,538.62	6,706.07	401.46	134.49
2013-14	10,773.91	183.73	7,467.34	7,799.95	1,010.74	28.02
2014-15	18,808.42	211.49	9,764.18	5,886.60	2,597.64	21.31

स्रोत: लेखापरीक्षा हेतु चयनित कुछ आयुक्तालयों द्वारा प्रदत्त सूचना

यह पाया गया है कि इन आयुक्तालयों में भी वर्ष के आरम्भ में सेवा कर बकाया 2012-13 की तुलना में 2014-15 में **तीन गुना** हो गया। वर्ष के प्रारम्भ में बाधारहित वसूली योग्य बकायों की प्रतिशतता जो 2013-14 के दौरान 46 प्रतिशत थी, के रूप में वर्ष के दौरान वसूली 2014-15 के दौरान 21 प्रतिशत रह गई। तीन वर्ष की अवधि के दौरान स्थगित बकाया लगभग तीन गुना हो गया।

प्रदत्त डाटा से यह भी पाया गया है कि:

- छः आयुक्तालयों अर्थात् चेन्नई एसटी-1, एलटीयू चेन्नई, अहमदाबाद एसटी, राजकोट, लुधियाना तथा बोलपुर में, 2012-13 की तुलना में 2014-15 में वसूली कम हुई।
- 13 आयुक्तालयों अर्थात् चेन्नई एसटी-1, पुदुचेरी, तिरुवेद्रम, जयपुर, सूरत-11, वडोदरा-1, रायपुर, चंडीगढ़-1, लुधियाना, पंचकूला, कोलकाता एसटी-1, गुवाहटी तथा पटना में, बकायों का लम्बन 100 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया। बकायों में वृद्धि जयपुर (9,062 प्रतिशत) तथा सूरत-11 (879 प्रतिशत) में बहुत अनुचित थी। राजकोट, बोलपुर तथा

<sup>16</sup> बेंगलूर एसटी-1, मैंगलूर, गाजियाबाद, हापुड़, जमशेदपुर, दिल्ली एसटी-11, एलटीयू दिल्ली, भुवनेश्वर-1, एसटी-11। मुम्बई, नागपुर-11



नोयडा एसटी आयुक्तालयों ने बेहतर निष्पादन किया तथा 2014-15 में बकाया लम्बन में कमी हुई ।

- छ: आयुक्तालयों अर्थात पुदुचेरी, जयपुर, सूरत-II, वडोदरा-I, कोलकाता एसटी-I, तथा नोएडा एसटी में, रोके गए बकाया 500 प्रतिशत से अधिक थे।

मंत्रालय ने इसे केवल सांख्यिकीय सूचना मानते हुये, कोई टिप्पणी नहीं की (दिसम्बर 2016) और इन कमिश्नरियों के निष्पादन पर कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की।

## 2.8 क्षेत्रीय संरचनाओं का कामकाज

### 2.8.1 रेंज कार्यालयों को मूल आदेश के संचार में अत्यंत विलम्ब

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसम्बर 2008 के अपने परिपत्र में निर्धारित किया है कि न्यायनिर्णयन आदेशों के विवरण की सीबीईसी के केन्द्रीय उत्पादशुल्क मैनुअल के अध्याय 18 भाग III में निर्धारित अनुसार स्थायी मांग रजिस्टर और वसूली हेतु की गई कार्यवाही की प्रविष्टि की जानी चाहिये। तथापि, परिपत्र में रेंज कार्यालय को ओआईओ के बारे में बताने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि 32 नमूना जांच की गई कमिश्नरियों में से, 11 कमिश्नरियों में 73 ओआईओ के मामले में, रेंज कार्यालयों को ओआईओ बताने के लिये लिया गया समय 01 से 2,949 दिनों के बीच था। निर्धारित समय सीमा न होने पर, रेंज को ओआईओ बताने के लिये एक सप्ताह का समय मानकर, लेखापरीक्षा ने कमिश्नरी वार विलम्ब का विश्लेषण किया और अत्यधिक विलम्ब करने वाली कमिश्नरियों के विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.3: मूल आदेशों के संप्रेषण में विलम्ब

क्र.सं.	कमिश्नरी	एक माह तक का विलम्ब	एक से तीन माह तक का विलम्ब	तीन माह से अधिक का विलम्ब	एक सप्ताह से अधिक विलम्ब के कुल मामले
1	हैदराबाद एसटी	15	2	1	18
2	ग्वालियर	0	1	2	3
3	पुदुचेरी	3	0	0	3
4	त्रिवेन्द्रम	8	7	1	16
5	चेन्नै एसटी-1	8	3	0	11
6	भुवनेश्वर-1	3	2	0	5
7	दिल्ली एसटी - II	0	1	0	1
8	जयपुर	2	0	0	2
9	नोएडा एसटी	2	0	1	3
10	सूरत-II	5	0	0	5
11	वडोदरा-1	5	1	0	6
	<b>कुल</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>73</b>

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

i) ग्वालियर कमीशनरी में मैसर्स चतुर्वेदी ट्रेवल्स एंड टूर्स के मामले में, अक्टूबर 2006 और दिसम्बर 2007 के दो ओआईओ<sup>17</sup> 01 दिसम्बर 2014 को अर्थात क्रमशः 98 और 84 माह के विलम्ब के बाद रेंज कार्यालय को दिये गये थे।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि 2 मामलों में ओआईओ निर्धारित समय में रेंज कार्यालय और पार्टी को भेजे गये थे। तथापि, दावे की पुष्टि करने के लिये कोई विवरण नहीं था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा कि ओआईओ जल्दी प्रदान करने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

ii) हैदराबाद एसटी कमिश्नरी में, मैसर्स मासवास ट्रेक्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, ओआईओ 27 जुलाई 2007 को अर्थात 107 दिनों के विलम्ब के बाद रेंज कार्यालय को डिलिवर किया गया था।

मंत्रालय ने कहा कि कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दे ओआईओ के संप्रेषण में विलम्ब कर सकते हैं और तथापि अवलोकन भविष्य के लिये नोट कर लिया जाये।

<sup>17</sup> दिनांक 24 अक्टूबर 2006 की ओआईओ संख्या 314/06 और दिनांक 13 दिसम्बर 2007 की ओआईओ संख्या 158/एसटी/एसटी/डीसी/जीडब्ल्यूआई/07

शेष 70 मामलों में, मंत्रालय ने निम्नलिखित रूप से प्रतिक्रिया दी (दिसम्बर 2016):

10 मामलों में यह कहा गया कि 3 से 85 दिनों के बीच की विलम्ब अवधि अपील अवधि के अंदर की थी और 12 मामलों में, यह कहा गया कि विलम्ब करीब 30 दिनों का था। 17 मामलों में, यह कहा गया था कि विलम्ब व्यावहारिक समस्याओं अर्थात् कई प्रतियां तैयार करने, प्रिंटर, स्टेशनरी, अन्य प्राथमिक कार्यों में स्टाफ के प्रेषण और भागीदारी के कारण था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ओआईओ उचित समय के अंदर रेंज को संप्रेषित किया जाना चाहिए अन्यथा बकाया की वसूली की अगली कार्यवाही में और अधिक विलम्ब होगा।

16 मामलों में, यह कहा गया था कि बिना विलम्ब रेंजों को ओआईओ संप्रेषित करने के लिये डिविजन/सेक्शन को निर्देश जारी किये गये हैं, यद्यपि मंत्रालय ने एक मामले में विलम्ब के लिये खेद प्रकट किया और एक मामले में पुनर्गठन को विलम्ब का कारण बताया।

इन सभी 57 मामलों में, यह भी कहा गया था कि भविष्य में रेंज कार्यालय को जल्द ही ओआईओ संप्रेषित करने के प्रयास किये जायेंगे।

छह मामलों में यह कहा गया था कि रेंज कार्यालय को ओआईओ के संप्रेषण में कोई विलम्ब नहीं हुआ था इस दावे के समर्थन में कोई भी विवरण प्रेषित किये बिना।

सात मामलों में यह कहा गया था कि अधिनियम में आदेश संप्रेषित करने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं थी, वास्तविक संप्रेषण अनुमत समय और स्वीकार्य सीमा के अंदर था।

समान प्रकृति के विलम्ब के अलग-अलग मामलों में मंत्रालय द्वारा अलग-अलग प्रतिक्रिया दर्शाती है कि मंत्रालय का इस मामले में समान दृष्टिकोण नहीं था और सिर्फ विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं की प्रतिक्रिया प्रेषित की थी। मंत्रालय को रेंजों को ओआईओ जल्दी संप्रेषित करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने और उसकी निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

### 2.8.2 वसूली की कार्यवाही न करना/विलम्ब से करना

वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 73 और धारा 87 के अंतर्गत सेवाकर के अधिकारियों को सेवा कर के राजस्व के बकाया की वसूली करने का अधिकार है।

**धारा 73** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उस व्यक्ति को नोटिस देने का अधिकार देती है, जिस पर सेवाकर, जो वसूला नहीं गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम वसूल किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस कर दिया है प्रभार्य है। इस स्थिति के अंतर्गत नोटिस देने के लिये समय सीमा प्रस्तुत तिथि से 'एक वर्ष' तक है। लेकिन धोखाधड़ी मिलीभगत, जानबूझकर गलत विवरण देने, तथ्यों को छुपाने, इस अधिनियम या नियमावली के किसी भी प्रावधानों को उल्लंघन करने के मामले में, नोटिस देने की समय सीमा पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

**धारा 87** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को तृतीय पक्ष जिसके पास उसका उधार पैसा हो से निर्धारित द्वारा देय राशि वसूल करने का अधिकार देती है।

(i) लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2015) कि, आठ कमिश्नरियों<sup>18</sup> में 49 मामलों में, वित्तीय अधिनियम 1994 की धारा 73 और 87 के अंतर्गत वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.86 करोड़ की वसूली नहीं हुई। कमिश्नरी-वार स्थिति नीचे विस्तृत रूप से दी गई है:

<sup>18</sup> अहमदाबाद एसटी, भुवनेश्वर, बेंगलौर एसटी-1, नोएडा एसटी, हापुड, गाजियाबाद, पटना, जमशेदपुर

तालिका 2.4: वसूली कार्यवाही न करना

(राशि ₹ लाख में)

कमिश्नरी	कुल मामले	राशि	वर्ष वार ब्रेक-अप			
			5 वर्ष से कम		5 वर्ष से अधिक	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
अहमदाबाद एस. कर	2	122.75	0	0	2	122.75
भुवनेश्वर	4	61.41	1	2.48	3	58.93
बैंगलौर एसटी-1	5	228.2	0	0	5	228.2
नोएडा एसटी	1	6.45	1	6.45	0	0
हापुड	12	123.31	2	87.56	10	35.75
गाजियाबाद	5	320.79	3	292.83	2	27.96
पटना	2	76.32	1	16.31	1	60.01
जमशेदपुर	18	547.2	16	524.24	2	22.96
<b>कुल</b>	<b>49</b>	<b>1,486.43</b>	<b>24</b>	<b>929.87</b>	<b>25</b>	<b>556.56</b>

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(क) अहमदाबाद कमिश्नरी में, मैसर्स शैडो कंस्ट्रक्टेसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के प्रति ₹ 84.37 लाख की मांग सुनिश्चित की गई थी (मार्च 2008)।

सीईएसटीएटी द्वारा स्थगन को खारिज किया गया (दिसम्बर 2010)। निर्धारिति ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई एप्लीकेशन को वापस लिया (अगस्त 2012)।

विभाग ने बकाया की वसूली हेतु नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (एनटीसी), और बैंक ऑफ बडौदा/सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/आईसीआई बैंक को धारा 87 के अंतर्गत नोटिस जारी किये (दिसम्बर 2011)। दिनांक 4 जनवरी 2012 को पत्र आयकर विभाग को जारी किया गया था। परिणामस्वरूप एनटीसी और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ₹ 6.29 लाख की राशि वसूल की गई (सितम्बर 2010)।

माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिति द्वारा फाइल की गई सिविल एप्लीकेशन को वापस लेने की तिथि से करीब 40 माह बीत गये तथापि, न तो बकाया की वसूली हेतु प्रमाणपत्र तैयार किया गया था और

जिला कलेक्टर को भेजा गया और न ही बकाया देय की वसूली हेतु, अन्य सरकारी/गैर-सरकारी एजेंसियों के पास जाकर निर्धारित, उसके प्रोपराइटर, पार्टनर, निदेशक आदि के नाम पर चल/अचल संपत्ति का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किये गये।

मंत्रालय ने विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को दोहराते हुये कहा कि कई प्रयासों के बावजूद किसी भी संपत्ति का पता नहीं लगा और मामला निर्धारित के नाम पर संपत्ति का पता लगने पर वसूली हेतु राजस्व प्राधिकरण को भेजा जायेगा।

विभाग द्वारा कार्यवाही न करने/अपर्याप्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 78.08 लाख के देय की वसूली नहीं हुई।

(ख) गाजियाबाद कमिश्नरी में मैसर्स आईईडी लिमिटेड गाजियाबाद के प्रति ₹ 77.58 लाख की मांग सुनिश्चित की गई थी (नवम्बर 2011) जिसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा समर्थित किया गया था (मई 2012)। पार्टी सीईएसटीएटी के पास गई लेकिन स्टे नहीं दिया गया था। विभाग ने देय की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि चूककर्ता की संपत्ति का पता लगाने के लिये बैंक और उप-रजिस्ट्रार गाजियाबाद को फरवरी-अप्रैल 2016 के बीच पत्र लिया गया था। इस प्रकार, कार्यवाही लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद की गई थी अर्थात् अपीलीय प्राधिकरण के मांग का समर्थन करने के लगभग चार वर्ष बाद।

शेष 47 मामलों के संबंध में, मंत्रालय के उत्तर निम्नलिखित प्रकार थे:

पांच मामलों में, मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि उनका विभाग के उत्तम प्रयासों के बावजूद भी पता नहीं लगा।

एक मामले में, यह कहा गया था कि डिटेंशन नोटिस मार्च 2013 में जारी किया गया था और निर्धारित, उसके पार्टनरों और प्राधिकारियों को पत्र 2015-16 में लिखे गये थे। इस प्रकार विभाग ने विलम्ब से कार्यवाही की।

एक मामले में यह कहा गया कि प्रोपराइटर की मृत्यु और फर्म का कोई कानूनी वारिस न होने के कारण, बकाया को बड़े खाते में डालने के लिये कार्यवाही की जा रही थी।

चार मामलों में, यह कहा गया कि मामले की वसूली की स्थिति विभाग के संबंधित डिविजन से सुनिश्चित की जा रही थी और अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।

24 मामलों में, यह कहा गया कि विभाग द्वारा कई कार्यवाही की गईं लेकिन की गई कार्यवाही के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके कारण की गई कार्यवाही की समयबद्ध सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

12 मामलों में, यह कहा गया कि सेवा कर के मामले में, सेवाप्रदाताओं की परिसंपत्तियों का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है और निर्धारित विभाग को बिना सूचित किये अपना पता बदलते हैं और इसलिये निर्धारित का पता नहीं लगता और विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

चूककर्ताओं की परिसंपत्तियों का पता लगाने और निर्धारित का पता लगाने के लिये विभाग द्वारा व्यक्त की गई असमर्थता को ध्यान में रखते हुये, विभाग को विशेष सीमा से ऊपर निर्धारित के लिये परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ अद्यतित करने हेतु तंत्र बनाना अनिवार्य करने की आवश्यकता है और सेवाप्रदाता द्वारा पता बदलने के बारे में सूचित न करने के मामले में सख्त दण्डात्मक प्रावधान पर भी विचार करना चाहिये।

ii) इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि ₹ 1.49 करोड़ की राशि के आठ मामलों में, तीन कमिश्नरियों<sup>19</sup> में कार्यवाही 19 से 80 माह तक के विलम्ब से की गई थी।

एक मामले की नीचे व्याख्या की गई है:

भावनगर कमिश्नरी में मैसर्स अटवल एंड एसोसिएट्स के प्रति ₹ 52.42 लाख की मांग सुनिश्चित की गई थी (मार्च 2010)। पार्टी की अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई थी (22 जुलाई 2013)। अपील खारिज होने के पाँच और 20 माह के बाद पार्टी को केवल साधारण पत्र लिखे गये थे

---

<sup>19</sup> भावनगर, सूरत-II, वडोदरा-I

(दिसम्बर 2013) और अपील खारिज होने के 20 माह बाद तृतीय पार्टी को एक पत्र लिखा गया था और कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

हमने इस ओर ध्यान दिलाया (दिसम्बर 2016)। मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि धारा 87 के अंतर्गत पहले ही कार्यवाही कर दी गई है। तथापि, क्योंकि की गई कार्यवाही के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये थे, की गई कार्यवाही की समयबद्धता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

एक मामले में, यह कहा गया था कि प्रयास किये गये थे लेकिन निर्धारित का पता नहीं लगा और चूँकि निर्धारित असंगठित क्षेत्र से था और अपने परिसर का पता अक्सर बदलते हैं, उनकी परिसंपत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता।

एक मामले में, यह कहा गया था कि मामले के अभिलेख कमिश्नरी के पुनर्गठन के कारण अत्यवस्थित हो गये थे, जिसके कारण विलम्ब हुआ।

एक मामले में मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि कार्यवाही धारा 87 के अंतर्गत पहले ही कर दी गई थी। तथापि, चूँकि कार्यवाही से संबंधित कोई विवरण उत्तर में उल्लिखित नहीं थे, कार्यवाही की समयबद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

चार मामलों में, यह कहा गया कि कार्यवाही की गई थी और विलम्ब अक्टूबर 2014 में पुनर्गठन के कारण था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2008 से 2011 की अवधि से संबंधित मामलों के लिये, पुनर्गठन जो अक्टूबर 2014 में हुआ को विलम्ब का कारण नहीं बताया जा सकता और उत्तर में बताई गई कार्यवाही 2016 में की गई थी।

### 2.8.3 जल्द सुनवाई हेतु आवेदन फाइल न करना

सीबीईसी ने दिनांक 22 सितम्बर 2003 के परिपत्र सं. 746/62/2003-सीएक्स के माध्यम से कहा कि कमिश्नरियों को ऐसी प्रार्थना हेतु आधार को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुये, उच्च राजस्व स्टेक के साथ मामलों की जल्द सुनवाई के लिये सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और गोल्ड (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईजीएटी) (प्रक्रिया) नियमावली, 1982 के नियम 28सी के अनुसार विविध एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह कहा कि अंतरिम स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिये, कमिश्नरियों को निदेशालय विधि विषयक मामलों के साथ प्रभावी संबंध के माध्यम से, उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से सिविल अपील/एसएलपी के संबंध में, अपील के मामलों



की शीघ्र अनुवर्ती कार्यवाही हेतु और स्पष्ट रूप से आधार निर्दिष्ट करके, जल्द सुनवाई (ईएचपी) हेतु उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईएसटीएटी के समक्ष विविध याचिका दायर करके सक्रिय कदम उठाने चाहिये। इसके अतिरिक्त, मुख्य कमिश्नर (टीएआर) ने दिनांक 15 जनवरी 2010 के पत्र सी संख्या सीसी/टीएआर/54/2009/3 के माध्यम से ₹ 50 लाख से अधिक (समय की परवाह किये बगैर) के राजस्व से जुड़े सभी मामलों की निगरानी और शीघ्र निर्णय हेतु सीईएसटीएटी के पास जाने के लिये क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिये।

(i) लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016) कि नौ कमिश्नरियों<sup>20</sup> में, ₹ 613.07 करोड़ के राजस्व से जुड़े 2 से 10 वर्षों से लम्बित, 51 मामलों में जल्द सुनवाई की एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई थी। कमिश्नरी वार स्थिति तालिका 2.5 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.5: जल्द सुनवाई हेतु आवेदन फाइल न करना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	मामलों की सं.	राशि
1	भावनगर	5	11.14
2	गाजियाबाद	2	18.51
3	हापुड़	1	1.34
4	एलटीयू, चेन्नै	12	159.40
5	पुदुचेरी	5	61.92
6	सेवा कर - I, चेन्नै	14	314.03
7	सूरत-II	6	19.27
8	त्रिवेन्द्रम	1	2.39
9	वडोदरा-I	5	25.07
	<b>कुल</b>	<b>51</b>	<b>613.07</b>

(ii) उच्च राजस्व मामलों में जल्द सुनवाई हेतु एप्लीकेशन फाइल न करना:

मामले जहां जल्द सुनवाई हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी में दस निर्धारितियों से संबंधित 16 मामले शामिल थे जहां प्रत्येक मामले में बकाया ₹ 10 करोड़ या अधिक था जहां स्टे 02 अगस्त 2010 से 17 जून 2014 के बीच दिया गया था जैसा तालिका 2.6 में दर्शाया गया है:

<sup>20</sup> एलटीयू चेन्नै, पुदुचेरी, एसटी-I चेन्नै, त्रिवेन्द्रम, नोएडा एसटी, हापुड़, गाजियाबाद, भावनगर, सूरत-II, वडोदरा-I

तालिका 2.6: जल्द सुनवाई हेतु एप्लीकेशन फाइल न करना (उच्च राजस्व मामले)  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्धारित का नाम	कमिश्नरी	बकाया राशि	स्टे मिलने की तिथि
1	मैसर्स फ्रीट सिस्टम इंडिया प्रा. लि.	चेन्नै एसटी-1	168.63	02.08.2012
2	मैसर्स रॉयल सुंदरम एलाईस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	चेन्नै एलटीयू	85.58	12.12.2012
3	मैसर्स विप्रो लि.	पुदुच्चेरी	53.10	02.07.2014
4	मैसर्स सिटी लाइट्स प्रोपर्टी प्राइवेट लि.	चेन्नै एसटी-1	37.86	10.04.2013
5	मैसर्स सिफि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लि. (3 मामले)	चेन्नै एलटीयू	35.86	17.06.2014
6	मैसर्स सीएच रॉबिनसन वर्ल्डवाइड फ्रीट इंडिया प्रा. लि.	चेन्नै एसटी-1	35.58	14.03.2013
7	मैसर्स डिशनेट वायरलेस लि.	चेन्नै एसटी-1	32.52	02,08,2010
8	मैसर्स एल्सटन टीएंडडी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स अरीवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड) (5 मामले)	चेन्नै एलटीयू	24.93	09,05,2011, 04.12.2012, 23.01.2013, 07.03.2013, (दो मामले)
9	मैसर्स प्लाजा मेनटेनेंस एंड सर्विसेज़	चेन्नै एसटी-1	15.56	07.09.2010
10	मैसर्स उत्तम टॉयटा	गाजियाबाद	10.69	21.01.2011

हमने इन 16 मामलों की ओर ध्यान दिलाया (फरवरी 2016 से मार्च 2016 के बीच)। मंत्रालय ने, चार मामलों में कहा (दिसम्बर 2016) कि आरएफडी रिपोर्ट के अनुसार, ईएचपी ₹ पांच करोड़ और अधिक के राजस्व से जुड़े मामलों में सीईएसटीएटी में फाइल की गई थी और एक वर्ष से अधिक से लंबित है।

मैसर्स फ्रीट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, यह उत्तर दिया गया कि ईएचपी पहले ही फाइल कर दी गई थी, यद्यपि, ईएचपी फाइल करने की तिथि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि सीईएसटीएटी, व्यावहारिक तौर पर, ईएचपी एप्लीकेशन को महत्व नहीं देता और अपने मापदंड के आधार पर मामले निर्धारित करता है।

आठ मामलों में, यह कहा गया कि ईएचपी फाइल करने के लिये कार्यवाही की जा रही थी और तीन मामलों में, यह बताया गया कि ईएचपी फाइल कर दिया गया था।

**(iii) जल्द सुनवाई हेतु सीईएसटीएटी द्वारा दिये गये अवसर का उपयोग न करना**

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि (दिसम्बर 2015) ₹ 7.81 करोड़ के बकाया से संबंधित गाजियाबाद कमिश्नरी में मैसर्स गुलशन राय के मामले में, सीईएसटीएटी ने देखा (मई 2012), कि चूँकि मामला कुछ कानूनी पहलुओं से संबंधित था और मांग भी करोड़ों रूपय की थी, अपील जल्दी सुनना उचित होगा, यदि कोई भी पार्टी अपनी ओर से आवश्यक एप्लीकेशन फाइल करती। लेकिन तीन वर्ष समाप्त होने के बाद भी जल्द सुनवाई हेतु कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई थी यद्यपि एप्लीकेशन का मसौदा अपर आयुक्त को भेजा गया था (नवम्बर 2013)।

इस प्रकार, मामले को जल्द निपटाने के लिये सीईएसटीएटी द्वारा दिये गये अवसर को विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बकाया वसूल नहीं किया जा सका।

शेष 34 मामलों के संबंध में, मंत्रालय के उत्तर निम्नलिखित प्रकार थे:

15 मामलों में, यह कहा गया कि ईएचपी फाइल कर दिया गया है या प्रक्रियाधीन है।

10 मामलों में, यह कहा गया कि दिनांक 01 सितम्बर 2014 की आरएफडी रिपोर्ट/कार्य योजना के अनुसार, ईएचपी ₹ पाँच करोड़ और अधिक के राजस्व से जुड़े मामलों में सीईएसटीएटी में फाइल किया जाना था और एक वर्ष से अधिक तक लंबित था। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि सीईएसटीएटी, व्यवहार में होने के कारण, ईएचपी एप्लीकेशन को महत्व नहीं देता और अपने मापदंड के आधार पर मामले निर्धारित करता है।

एक मामले में, यह कहा गया कि चूँकि मामले से जुड़ा शुल्क ₹ एक करोड़ से कम है, जल्द सुनवाई हेतु सीईएसटीएटी के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्देश में शब्द 'बकाया' है 'शुल्क' नहीं और इस मामले में कुल बकाया ₹ 1.76 करोड़ था।

एक मामले में, यह कहा गया कि ईएचपी फाइल किया गया था लेकिन उसे सीईएसटीएटी ने यह कहते हुये खारिज कर दिया कि अत्यधिक मांग के मामलों की विलम्बता को ध्यान में रखते हुये अपील की जल्द सुनवाई हेतु कोई तात्कालिकता नहीं थी।

एक मामले में, यह कहा गया कि संशोधित निर्देश ₹ एक करोड़ के राजस्व से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई हेतु सीईएसटीएटी के पास जाने की मांग करते हैं।

पांच मामलों में, यह कहा गया कि सीईएसटीएटी ने अपने निर्णय में {2008 (230) ईएलटी 64 (ट्राई-मुम)} कहा कि ₹ एक करोड़ से अधिक का राजस्व जल्द सुनवाई हेतु केवल एक मापदंड नहीं हो सकता और इसमें एससी/ एचसी/न्यायाधिकरण निर्णय द्वारा कवर किये गये मुद्दे, आवर्ती प्रकृति के मुद्दों और संबंधित राजस्व काफी अधिक हो या कोई असाधारण परिस्थिति जैसे अन्य कारक भी शामिल करने चाहिये।

एक मामले में, उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

**मंत्रालय ने विभिन्न कमिश्नरियों को प्रतिक्रिया अग्रोषित की जिसमें जल्द सुनवाई हेतु सीईएसटीएटी के पास जाने की विभिन्न सीमा उल्लिखित थी जैसे ₹ पांच करोड़ और अधिक से जुड़ा राजस्व और पांच वर्ष से अधिक तक लंबित, ₹ एक करोड़ से जुड़ा शुल्क, राजस्व ₹ एक करोड़। इस प्रकार, मंत्रालय ने बिना विश्लेषण किये और उस पर कोई निर्णय लिये बिना सीएजी को विभिन्न कमिश्नरियों द्वारा दिये गये विभिन्न विचार अग्रोषित कर दिये।**

मंत्रालय को सीईएसटीएटी के परामर्श के साथ मुद्दे की जांच करने और अनुपालन हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं को स्पष्ट और उचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है ताकि विभाग की जल्द सुनवाई हेतु एप्लीकेशन सीईएसटीएटी द्वारा खारिज न की जायें।

#### 2.8.4 मामलों को इकट्ठा करना

सीबीईसी के दिनांक 11 अगस्त, 2004, के परिपत्र संख्या 296/34/2004-सीएक्स.9(पीटी) में नियम है कि क्षेत्राधिकार आयुक्त को अधिक राजस्व से जुड़े समान मामलों को एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिये और प्राथमिकता पर निपटान करने के लिये न्यायाधिकरण से अनुरोध करना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा (नवम्बर 2015 से जनवरी 2016) कि अधिक राजस्व से जुड़े समान मुद्दों पर मामलों को किसी भी 13 कमिश्नरियों<sup>21</sup> में एकत्र नहीं किया जा रहा था और किसी भी समय न्यायाधिकरण से प्राथमिकता से इन मामलों के निपटान हेतु अनुरोध नहीं किया गया था। शेष 19 कमिश्नरियों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

उपरोक्त उल्लिखित 13 कमिश्नरियों में से, दो कमिश्नरियों में विस्तृत जांच से पता चला कि आठ मामले थे जिन्हें एकत्र किया जा सकता था, जैसा तालिका 2.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: एकत्र न किये गये मामले

			(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	कमिश्नरी का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	हैदराबाद एसटी	02	41.64
2.	एलटीयू चेन्नै	06	15.61
	<b>कुल</b>	<b>8</b>	<b>57.25</b>

इस प्रकार, मामले को शीघ्र निपटाने के लिये सीईएसटीएटी से अनुरोध करने के लिये सीडीआर को समान मामलों की सूची भेजने में विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 57.25 करोड़ का राजस्व बकाया लंबित हुआ।

दो उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- “सकल प्राप्तियों में सेवाप्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त आपूर्ति सामग्री का मूल्य शामिल न करने” के लिये हैदराबाद सेवाकर कमिश्नरी में मैसर्स पीएलआर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रति तीन ओआईओ में ₹ 9.63 करोड़ की

<sup>21</sup> हैदराबाद सेवा कर, एलटीयू चेन्नै, सेवा कर-1 चेन्नै, सेवा कर-1 कोलकाता, गुवहाटी, बोलपुर, जमशेदपुर, पटना, भावनगर, सूरत-1, वडोदरा-1, ग्वालियर और रायपुर

मांग सुनिश्चित की गई थी। मांग अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोकੀ गई लेकिन विभाग द्वारा मामलों को एकत्र नहीं किया गया था।

ii) “टिप्पर्स/डंपर्स पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग हेतु हैदराबाद सेवा कर कमिश्नरी में मैसर्स बीजीआर माइनिंग एंड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के प्रति तीन ओआईओ में ₹ 32.01 करोड़ की मांग सुनिश्चित की गई थी। मांग अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोकी गई लेकिन विभाग द्वारा मामलों को एकत्र नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि दोनों मामलों में, आयुक्त (एआर) से संबंधित अपीलों को लिंक करने हेतु और मामलों की जल्द सुनवाई हेतु न्यायाधिकरण से अनुरोध करने के लिये कहा गया था।

पांच मामलों में मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि मामलों को एकत्र करने के लिये एप्लीकेशन फाइल करने हेतु कार्यवाही की जा रही थी और एक मामले में यह कहा गया कि एकत्र करने के लिये एप्लीकेशन फाइल की गई थी (अगस्त 2016)।

### 2.8.5 वसूली सेल को मामले हस्तांतरित न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को उस व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति बेचने या कुर्की करने का अधिकार है, जो व्यक्ति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 12 जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समान मामलों पर लागू सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 42(1)(सी)(ii) बनाता है उस के अंतर्गत जारी दिनांक 2 सितम्बर 1997 की अधिसूचना संख्या 48/97-सीई (एनटी) के माध्यम से सरकार को देय किसी भी राशि के भुगतान में विफल हुआ हो।

यदि विभागीय प्रयासों से कोई वसूली नहीं की गई हो, मामले को वसूली सेल को हस्तांतरित किया जाना चाहिये, जिसके पास चूककर्ता की संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली हेतु कार्यवाही करने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड की मंशा<sup>22</sup> थी (अक्टूबर 2000) कि 1999 और पूर्व वर्षों में जिला प्राधिकरण को पहले से संदर्भित, सभी मामले, जहां कोई भी प्रभावी कार्यवाही या प्रतिक्रिया नहीं की गई है, उनको कमिश्नरी के वसूली सेल को संदर्भित किया जाना चाहिये जहां निर्धारित के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ चल/अचल संपत्ति हो सकती है ताकि दिनांक 15 दिसम्बर 1997 के परिपत्र संख्या 365/81/97-सीएक्स के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि नमूना जांच की गई 32 कमिश्नरियों में से, केवल गुवहाटी कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान वसूली सेल को ₹ 264.54 करोड़ से जुड़े 2,108 मामले ट्रांसफर किये और चार कमिश्नरियों द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

शेष 27 आयुक्तालयों<sup>23</sup> में किसी भी वर्ष के दौरान रिकवरी सेल को कोई भी मामला स्थानांतरित नहीं किया गया। 27 में से चार आयुक्तालयों ने बकाये का विवरण नहीं प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, 23 आयुक्तालयों में जिसने वर्ष 2014-15 के बकायों का डाटा प्रदान किया था, उसमें वर्ष 2014-15 की शुरुआत में ₹ 16,857 करोड़ का बकाया था। इसके अतिरिक्त, रिकवरी सेल को स्थानांतरित मामलों के संबंध में पांच आयुक्तालयों<sup>24</sup> द्वारा प्रस्तुत डाटा में यह उल्लेख था कि बकाये का राजस्व शून्य था जबकि इन आयुक्तालयों में ₹ 5,956 करोड़ बकाए वाले 6,960 मामले लंबित थे।

इस प्रकार, मामलों को स्थानांतरित न करने से न केवल रिकवरी सेल निरर्थक रहा बल्कि बकायों का ढेर लग गया और इसकी बहुत कम वसूलियाँ हुईं।

31 आयुक्तालयों के संबंध में मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2016) इस प्रकार था:

---

<sup>22</sup> दिनांक 4 अक्टूबर 2000 का परिपत्र संख्या 552/48/2000-सी

<sup>23</sup> पुडुचेरी, एलटीयू चेन्नई, सेवाकर-1, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़-1, चंडीगढ़-2, लुधियाना, पंचकुला, बेंगलूर एसटी-1, मंगलौर, नोएडा सेवाकर, गाजियाबाद, जमशेदपुर, पटना, दिल्ली एसटी-1, ग्वालियर, रायपुर, अहमदाबाद एसटी, भावनगर, जयपुर, राजकोट, सूरत-1, वड़ोदरा-1, हैदराबाद एसटी, भुवनेश्वर-1, एसटी-1। मुंबई, नागपुर-1।

<sup>24</sup> पुडुचेरी, एलटीयू चेन्नई, एसटी-1 चेन्नई, लुधियाना, जयपुर

एक मामले में यह बताया गया कि लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट कर लिया गया है।

पाँच मामलों में यह बताया गया कि कोई रिकवरी सेल नहीं था और डिवीज़न स्तर पर रिकवरी की निगरानी की जा रही थी। नौ मामलों में, रिकवरी सेल थे लेकिन फिर भी डिवीज़न द्वारा निगरानी की जा रही थी। दो मामलों में यह बताया गया कि रिकवरी सेल को हाल ही में चालू किया गया है।

पाँच मामलों में यह बताया गया कि रिकवरी सेल कार्य नहीं कर रहे थे। मामले रिकवरी सेल को स्थानांतरित किए जा रहे थे, हालांकि स्थानांतरित किए गए मामलों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

चार मामलों में यह बताया गया कि रिकवरी सेल को भेजे जाने हेतु कोई भी मामला ठीक नहीं पाया गया।

एक मामले में यह बताया गया कि ₹ 50 लाख से अधिक वाले बकायों वाले मामलों की निगरानी रिकवरी सेल द्वारा की जा रही है।

दो मामलों में यह बताया गया कि डिवीज़नों से कोई भी मामला रिकवरी सेल को नहीं भेजे जा रहे थे।

एक मामले में यह बताया गया कि सेवाकर में मामलों को रिकवरी सेल को भेजने का कोई प्रावधान नहीं था।

एक मामले में यह बताया गया कि दिनांक 15 दिसम्बर 1997 के परिपत्र संख्या 368/81/97-CX द्वारा मामलों को उन आयुक्तालयों के रिकवरी सेल को भेजने का सुझाव था जहां निर्धारिती के पास कुछ चल/अचल संपत्ति हो। इसलिए रिकवरी सेल से यह अपेक्षित है कि इस आयुक्तालय में चल और अचल संपत्ति का विवरण देने वाले परिशिष्ट-1 के रूप में अन्य आयुक्तालयों से प्राप्त संदर्भों को देखना होगा। इसलिए आयुक्तालय के सभी बकायों को रिकवरी सेल को भेजने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

उत्तर तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि दिनांक 15 दिसम्बर 1997 के परिपत्र संख्या 365/81/97-CX अन्य आयुक्तालयों (रिकवरी सेल को स्थानांतरित करने वाले) से रिकवरी सेल को प्राप्त मामलों की कोई सीमा नहीं निर्धारित करता है। ऐसे भी मामले हैं जहां चूककर्ता की संपत्ति उसी आयुक्तालय में हो सकती है और



प्राधिकृत अधिकारी को तदनुसार परिशिष्ट-II जारी करना होता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने दिनांक 4 जनवरी 2000 के परिपत्र सं. 552/48/2000-CX में यह भी निर्देश दिया कि जहां विभागीय प्रयासों से अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हुए, ऐसे सभी मामलों पर रिकवरी सेल द्वारा कार्रवाई की जाए। इस प्रकार, आयुक्तालय ऐसे मामलों की पहचान करे जहां विभागीय प्रयासों से कोई वसूली नहीं की गई और ऐसे मामलों को अपने अथवा अलग आयुक्तालयों के रिकवरी सेल को स्थानांतरित करना चाहिए, जहां परिसंपत्ति/संपत्ति उपलब्ध हो।

इस प्रकार, अधिकांश आयुक्तालयों में रिकवरी सेल हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रीय कार्यालयों का रिकवरी सेल के कार्यों पर अलग-अलग मत है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने रिकवरी सेल को मामलों को भेजने वाले सेवाकर में प्रावधान न होने के बारे में एक मामले में प्रतिक्रिया और दूसरे मामले में यह प्रतिक्रिया कि रिकवरी सेल केवल अन्य आयुक्तालयों से स्थानांतरित मामलों हेतु उत्तरदायी है, सहित बिना विश्लेषण किए क्षेत्रीय कार्यालयों को विरोधाभासी मतों को सीधे सीएजी को भेज दिया। यह सीएजी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के प्रति मंत्रालय का लापरवाह रवैया दर्शाता है।

बोर्ड, रिकवरी सेल के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इसकी प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करे।

## 2.9 आंतरिक नियंत्रण

### 2.9.1 बकाया मामलों की स्थिति का गैर-अद्यतन

कुछ मामलों में हमने देखा कि वसूली मामलों की निगरानी के अभाव के कारण मामलों का गलत वर्गीकरण हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है:

- i) हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि भुवनेश्वर आयुक्तालय में तीन मामलों में निर्धारिती जो आयकर विभाग को नियमित रूप से अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर रहे थे, उन्हें ₹ 23.22 लाख के राजस्व बकाया वाले 'नहीं मिल रहे चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विभाग ने आयकर विभाग से निर्धारितियों का पता प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकता था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि 3 मामलों में शामिल चूककर्ता के नाम नहीं दिए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ विभाग को नाम प्रदान किए गए थे।

ii) हमने देखा (नवम्बर 2015) कि सेवाकर आयुक्तालय, नोएडा के क्षेत्राधिकार में मै. एस.एम टेलीसिस के प्रति 31 जनवरी 2006 को ₹ 4.80 लाख के मांग की पुष्टि हुई। मार्च 2015 के टीएआर के अनुसार मामलों को 'बीआईएफआर के पास लंबित' वर्गीकृत किया गया था, जबकि मामले का निर्धारण मई 2011 में बीआईएफआर द्वारा पहले ही किया जा चुका था। इस प्रकार मामले को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था और परिणामस्वरूप आगामी कार्रवाई हेतु गलत निगरानी हुई।

मंत्रालय ने आपत्ति को मान लिया (दिसम्बर 2016) और बताया कि बकायों की वसूली हेतु धारा 87 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है।

iii) हमने देखा (नवम्बर 2015) कि 17 फरवरी 2014 को सेवाकर नोएडा आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में मै. लॉजिक्स सॉफ्ट टेली.प्रा.लिमिटेड के प्रति ₹ 1.53 करोड़ के मांग की पुष्टि हुई। मार्च 2015 के टीएआर के अनुसार मामले को "अपील अवधि के अधीन में" के रूप में वर्गीकृत किया गया था जबकि अपील अवधि पहले ही 18 मई 2014 को समाप्त हो गई थी।

मंत्रालय ने आपत्ति मान ली (दिसम्बर 2016) और बताया कि मामले को 'सेसटैट स्टे श्रेणी' में दर्शाया गया था क्योंकि मामले में सेसटैट द्वारा स्टे प्रदान किया गया था।

### 2.9.2 अधिक दर्शाया गया बकाया

मासिक कर बकाया रिपोर्ट में प्रत्येक माह की समाप्ति पर चूककर्ता के प्रति बकाये की धनराशि दर्शाई जाती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि हापुड़ आयुक्तालय और गाजियाबाद आयुक्तालय में तीन मामलों में बकाया ₹ 37.68 लाख अधिक दर्शाया गया था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

i) हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ आयुक्तालय में मै. हरीश अनेजा एवं अन्य, बरेली के प्रति ₹ 1.94 करोड़ की मांग की पुष्टि हुई। पार्टी ने पुष्ट

मांग में से ₹ 27.00 लाख जमा कराया जो टीएआर में दर्शाए गए बकाए में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार बकाया ₹ 27.00 लाख बढ़ गया।

मंत्रालय ने आपत्ति मान ली और बताया (दिसम्बर 2016) कि बकाये को तदनुसार टीएआर रिपोर्ट में घटा दिया गया है।

ii) हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ आयुक्तालय में मै. कमर्शियल मोटर्स, बरेली के प्रति ₹ 2.03 करोड़ के मांग की पुष्टि हुई। पार्टी ने पुष्ट मांग में से ₹ 7.63 लाख जमा करा दिया जिसे टीएआर में दर्शाए गए बकाए में उपयुक्त रूप से शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार बकाया ₹ 7.63 लाख बढ़ गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि पार्टी ने केवल ₹ 1.12 लाख जमा कराया न कि ₹ 7.43 लाख और तदनुसार टीएआर में से घटा दिया गया है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पार्टी ने दिनांक 26 फरवरी को चालान सं. 00433 (₹ 1.12 लाख) एवं दिनांक 20 मई 2015 को चालान सं.00310 (₹ 6.51 लाख) द्वारा ₹ 7.63 लाख जमा कराया जिसकी पुष्टि रेंज अधिकारी द्वारा भी की गई थी।

iii) हमने देखा (जनवरी 2016) कि हापुड़ आयुक्तालय में मै. एच.एम. कंस्ट्रक्शन, मुरादाबाद के प्रति ₹ 12.24 लाख की पुष्टि हुई। पार्टी ने पुष्ट मांग में से ₹ 3.05 लाख जमा करा दिया, जिसे टीएआर में नहीं शामिल किया गया। इस प्रकार बकाया ₹ 3.05 लाख बढ़ गया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि पार्टी ने कोई राशि नहीं जमा की और इसलिए बकाए की राशि जो टीएआर में दर्शाई गई थी, सही थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सेसटैट के स्टे आर्डर में पार्टी द्वारा जमा ₹ 3.05 लाख की राशि का उल्लेख था।

### **2.9.3 विभाग के अंदर विभिन्न विंग के बीच समन्वय का अभाव**

हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि आयुक्तालय (मुख्या.) के अधिकरण अनुभाग के साथ भुवनेश्वर आयुक्तालय में रायगढ़ डिवीज़न द्वारा मिलान नहीं किया जा रहा था। ₹ 70.87 करोड़ एवं ₹ 3.82 करोड़ क्रमशः सेसटैट और

आयुक्तालय (अपील) में लंबित दर्शाए गए 13 और 20 मामले डिवीज़न द्वारा लंबित दर्शाए गए थे। लेकिन आयुक्तालय (मुख्या.) के अधिकरण अनुभाग में लंबित स्टे वाले बकाए स्थिति के प्रति सत्यापन से पता चला कि ये मामले वास्तव में लंबित नहीं थे। एक ऐसा ही मामला यथा; मै. के.के. ठक्कर जो ₹ 1.02 करोड़ से जुड़ा था यद्यपि, अक्टूबर 2015 में सेसटैट द्वारा निपटा दिया गया था फिर भी इसे लंबित दर्शाया गया था। रिकवरी सेल/डिवीज़न द्वारा मिलान न करने से मामले लंबित दर्शाए गए और वसूली ठप हुई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 74.69 करोड़ के सरकारी बकाए की वसूली के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि डिवीज़नल अधिकारी से अंतर का मिलान करने और वसूली कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

## 2.10 मॉनीटरिंग

### 2.10.1 मामले की स्थिति जानने वाले तंत्र का अभाव

हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि क्षेत्रीय कार्यालयों में वसूली मामलों की स्थिति जानने का कोई तंत्र नहीं है। अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि अधिकांश मामलों में विभाग ने मामले की स्वयं निगरानी करने की बजाए सेसटैट में लंबित मामलों की स्थिति बताने के लिए निर्धारितियों से अनुरोध किया। कुछ घटनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

i) जयपुर आयुक्तालय में मै. सम्राट स्टूडियो एण्ड कलर लैब, जयपुर के प्रति लागू दरों पर ब्याज के अलावा ₹ 2.24 लाख की मांग और इतने ही जुर्माने की पुष्टि हुई (सितम्बर 2010)। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने आदेश के विरुद्ध सेसटैट में अपील दायर किया (जून 2012)। रेंज कार्यालय ने स्वयं के द्वारा मामले की स्थिति की निगरानी की बजाए निर्धारिती से मामले की वर्तमान स्थिति बताने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2015)।

इस मामले में मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (दिसम्बर 2016) कि मामले की स्थिति मुख्यालय की समीक्षा शाखा से सुनिश्चित की जाती है क्योंकि सेसटैट की वेबसाइट नहीं चल रही और

वर्तमान मामले में रेंज अधिकारियों ने त्रुटिवश निर्धारिती से स्थिति पूँछ लिया। इसने आगे कहा कि केवल इस अकेले घटना से यह धारण बनाना उचित नहीं है कि मामले की स्थिति को जानने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र नहीं है।

मामले की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को कानूनी प्रतिनिधियों से आवधिक रिपोर्ट आदि जैसे तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

ii) हैदराबाद आयुक्तालय में मै. प्राजय इंजीनियर्स सिंडीकेट लिमिटेड के प्रति लागू ब्याज दरों के अलावा ₹ 10.37 करोड़ और इतने ही जुर्माने की मांग की पुष्टि हुई (जनवरी 2013)। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि रेंज अधिकारी, सेवाकर ने निर्धारिती से मामले की वर्तमान स्थिति बताने का अनुरोध किया (06 नवम्बर 2015)। लेखापरीक्षा ने देखा कि सेसटैट द्वारा 16 जून 2015 को ही मामले पर पहले ही रोक लगा दिया गया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सेसटैट हैदराबाद में वेबसाइट पर मामले की स्थिति जानने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए निर्धारिती से मामले की वर्तमान स्थिति जानने का अनुरोध किया गया था।

iii) हमने देखा (नवम्बर 2015) कि सेवाकर आयुक्तालय, नोएडा के क्षेत्राधिकार में मै. एस.एम. टेलीज़ के प्रति ₹ 4.80 लाख के मांग की पुष्टि हुई (31 जनवरी 2006) (जैसा कि पैरा सं. 7.31 (ii) में दर्शाया गया है)। निर्धारिती ने विभाग को बताया (मार्च 2011) कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन (बीआईएफआर) द्वारा कम्पनी को सिक घोषित कर दिया गया है (फरवरी 2007)। विभाग ने बीआईएफआर से मामले की वर्तमान स्थिति जानने का अनुरोध किया (फरवरी 2013)। विभाग को पता चला (नवम्बर 2013) कि परिसर की नीलामी हो चुकी थी।

इससे पता चलता है कि विभाग ने न तो समय पर बकाया वसूली हेतु कार्रवाई की और न ही उसे यह पता था कि निर्धारिती को सिक फर्म घोषित कर दिया गया था और संपत्ति की नीलामी हो गई थी।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि एक अधिकारी को बीआईएफआर में प्रतिनियुक्त किया गया था और बीआईएफआर द्वारा मामले पर सितम्बर

2013 में निर्णय दिया गया था। बाद में, विभागीय अधिकारी ने परिसर का दौरा किया और उसे यह पता चला कि चूककर्ता की संपत्ति की आईएफसीआई द्वारा नीलामी कर दी गई थी और लावण्या आयुर्वेदिक अस्पताल द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। विभाग आईएफसीआई और बैंकों के साथ मामले को देख रहा है। हालांकि, बीआईएफआर में विभागीय कार्रवाई का विवरण अर्थात्; विभागीय दावा दाखिल करने, बीआईएफआर कार्यवाहियों के विवरण न तो लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई मामले की फाइलों में उपलब्ध थे और न ही मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए।

### **2.10.2 बकायों की वसूली की निगरानी हेतु विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग**

यद्यपि वसूलियों की स्थितियाँ कर बकाया रिपोर्टों में दर्शाई गई हैं, बकाया संकलन और निगरानी हेतु कोई विशेष सॉफ्टवेयर/माइज़ूल नहीं है। बकायों की वसूली हेतु विभाग में आईटी प्रणाली/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम का प्रयोग एक प्रभावी तंत्र बन सकता है। प्रणाली की पर्याप्तता, एप्लीकेशन एवं प्रक्रियागत नियंत्रण, प्रबंधन हेतु एमआईएस रिपोर्टों की उपलब्धता और सूचना का साझाकरण ऐसी आईटी प्रणाली/कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम के अभाव में सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 18 आयुक्तालयों में ऐसा कोई कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर/प्रोग्राम अथवा प्रणाली नहीं है जिससे बकाया राजस्वों की स्थिति, निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन इत्यादि की निगरानी; विभाग द्वारा दक्ष एवं प्रभावी तरीके से बकायों की वसूली सुनिश्चित की जा सके। शेष 14 आयुक्तालयों से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

आईटी समर्थित प्रणाली न होने के कारण वसूली प्रक्रियाओं की कमजोर निगरानी हुई।

जब हमने इस मामले को उठाया (जनवरी 2016 से मार्च 2016 के बीच), मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि बोर्ड ने बकायों की वसूली की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निगरानी करने हेतु कदम उठाया है। क्षेत्रीय कार्यालय

द्वारा बकायों की मासिक रिपोर्ट को डिजिटल कर दिया गया है और मैनुअल रजिस्ट्रों को डिजिटल करने का प्रयास चल रहा है।

यह उम्मीद की जाती है कि डिजिटलीकरण करने से बकायों की वसूली की निगरानी में सुधार होगा।

### **2.10.3 अपील रजिस्टर न बनाया जाना**

बोर्ड के परिपत्र सं. 224/37/2055-CX 6 दिनांक 24 दिसम्बर 2008 में निर्धारित द्वारा दाखिल अपील पर ड्रॉफ्ट पैरा-वार टिप्पणियाँ तैयार करने तथा कानूनी फोरमों के पास लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी हेतु अभिलेखों की मासिक समीक्षा के माध्यम से रजिस्टर का नियमित रख-रखाव जैसे विभिन्न उपायों का प्रावधान था।

हमने देखा कि (अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016) कि चार आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में 18 रैंज में अपील रजिस्टर नहीं बनाए जा रहे थे।

हमने जनवरी 2016 और फरवरी 2016 के बीच इन मुद्दों को उठाया। मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि अपील रजिस्टर बनाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

## **2.11 वसूली हेतु कार्यबल की कार्य प्रणाली**

### **2.11.1 जोनल टीएआर द्वारा रणनीति न बनाया जाना**

बोर्ड (सीबीईसी) ने बकायों की वसूली में सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों पर नजर रखने एवं उनकी निगरानी, समंवय, सुविधा के लिए एक केंद्रीकृत कार्यबल (सीटीएफ) का गठन किया (अगस्त 2004)। सीटीएफ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के राजस्व बकायों की स्थिति की समीक्षा करने तथा लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से बकायों की वसूली करने हेतु रणनीति बनाने और उसे लागू करने का दबाव था। इस रणनीति में सेसटैट, आयुक्त (अपील) और निपटान आयोग के समक्ष सभी मामले शामिल हैं। इनके अलावा, आयुक्तालय के गैर-विवादित बकायों के संबंध में सीटीएफ को संग्रहण नीति बनाना था। नोडल अधिकारियों से भी मामलों की मासिक निगरानी अपेक्षित थी, जहां चूककर्ता का पता नहीं लगाया

जा सकता था और उनकी परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं थी, जिन्हें डीजीआरआई/ डीजीसीईआई को भेजा गया था।

हमने देखा कि यद्यपि विभाग का जोर बकायों की वसूली हेतु रणनीतियाँ बनाने एवं उनके कार्यान्वयन पर था, इसने बकायों की वसूली हेतु ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। इसको इस तथ्य से भी जोड़ा जा सकता है कि रोक हेतु अनिश्चित समयसीमा के कारण सेसटैट में भारी मात्रा में बकाए लंबित थे, जहां सीटीएफ ने इस संबंध में कोई योजना नहीं बनाई/निर्देश नहीं जारी किया। तथ्यों से यह भी स्पष्ट हो गया कि मार्च 2015 तक सेवाकर के मामले में ₹ 67,399.89 करोड़ राशि के बकाए मामले सेसटैट (अखिल भारत) के पास लंबित थे, निपटान आयोग के पास ₹ 24.60 करोड़ के बकाए और आयुक्त (अपील) के पास ₹ 79,743.46 करोड़ (सभी जोन) के राजस्व के कुल बकाए के प्रति ₹ 1,769.81 करोड़ के मामले लंबित थे। यह कुल वसूली का 86.77 प्रतिशत बकाया था। इस प्रकार, अप्रभावी रणनीति के कारण इन बकायों को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और ये लगातार बढ़ते ही गए।

जब हमने इस मामले को उठाया (जनवरी 2016), मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि टीएआर द्वारा कई उपायों सहित रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं और आयुक्तालयों द्वारा इसका पालन तथा टीएआर द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। कानूनी निकायों के समक्ष मामलों के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि ये स्वतंत्र निकाय हैं और विभागीय निर्देश उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा ने कानूनी निकायों को निर्देश देने पर जोर नहीं दिया है, बल्कि शीघ्र सुनवाई, रोक हटाने आदि के अनुरोध के माध्यम से कानूनी निकायों के पास मामलों को देखने की रणनीति बनाने के लिए जोर दिया है, जैसा कि टीएआर कार्यप्रणाली में परिकल्पना की गई थी।

### **2.11.2 टीएआर में संबंधित अभिलेख/डाटा न बनाया जाना**

प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए रणनीति और कार्ययोजना बनाने हेतु संबंधित डाटा का अनुरक्षण मूल आधार है। का.जा. दिनांक 11 अगस्त 2004 द्वारा परिकल्पित इसके कार्यों के निर्वहन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इसके



क्षेत्राधिकार में जोनल टीएआर द्वारा बकाए से संबंधित डाटा बनाया जाना आवश्यक है।

टीएआर नागपुर में, कार्यालय के पुनर्गठन एवं शिफ्टिंग के कारण सूचना संकलित नहीं की जा सकी।

टीएआर चेन्नई एवं वड़ोदरा के संबंध में विभाग द्वारा सूचना नहीं प्रदान की गई।

डाटा के अभाव में, लेखापरीक्षा इन टीएआर की कार्यप्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती।

जब हमने इस मामले को उठाया (फरवरी 2016), मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि सीसी (टीएआर) की जिम्मेदारी बदलकर महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को सौंपने तथा महानिदेशक, करदाता सेवाएँ (डीजीटीपीएस) के अंतर्गत जोनल नोडल कार्यालय बनाकर अगस्त 2015 में टीएआर का पुनर्गठन कर दिया गया है। लेखापरीक्षा के समय परिवर्तन किया जा रहा था, जिसके कारण लेखापरीक्षा को अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए जा सके।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बोर्ड को समुचित परिवर्तन प्रबंधन/परिवर्तन योजना सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि विभाग का कार्यकलाप प्रभावित न हो।

### **2.11.3 टीएआर द्वारा आयुक्तालयों का गैर/अपर्याप्त निरीक्षण**

का.जा. सं. फा. सं. 296/34/2004-CX 9 (पीटी) दिनांक 11 अगस्त 2004 में सभी आयुक्तालयों में इसके प्रभार में शुरूआती निरीक्षण द्वारा आयुक्तालयों के निष्पादन की नमूना जांच और उसके बाद क्षेत्राधिकारी अधिकारियों के साथ आवधिक निरीक्षण/विचार-विमर्श करने का प्रावधान है।

हमने देखा (नवम्बर 2015) कि नोडल कार्यालय कोलकाता ने 2013-14 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया और 19 में से केवल तीन आयुक्तालयों ने 2014-15 में अपने क्षेत्राधिकार में निरीक्षण किया।

इस प्रकार नोडल अधिकारी, टीएआर कोलकाता ने अपने क्षेत्राधिकार में आयुक्तालयों के निरीक्षण हेतु बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया।

टीएआर चेन्नई और वड़ोदरा के संबंध में विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई, इसलिए हम चेन्नई और वड़ोदरा की कार्यप्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

हमने इस मामले को उठाया (फरवरी 2016) और मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2016) कि नोडल कार्यालय इसलिए निरीक्षण नहीं कर पाए क्योंकि टीएआर के पुनर्गठन/परिवर्तन के कारण स्टॉफ की कमी थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आपत्ति 2012-13 से 2014-15 की अवधि से संबंधित है और पुनर्गठन अगस्त 2015 में किया गया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंधन में परिवर्तन/बदलाव के समय विभाग का कार्यकलाप प्रभावित न हो।

## 2.12 निष्कर्ष

भारी बकाये के बावजूद भी बकायों की वसूली पर उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। बकायों की निगरानी, शीघ्र निपटान हेतु अनुरोध जैसे प्रभावी कदम उठाने, मामलों की बंचिंग और अपीलों के निपटान अथवा रोक हटाने पर शीघ्र कार्रवाई से संबंधित बोर्ड के व्यापक निर्देशों की न तो क्षेत्रीय कार्यालयों को समझ थी और न ही उनका पालन किया गया ताकि सरकारी राजस्व की सुरक्षा की जा सके। विशेष संस्थागत व्यवस्थायें जैसे कि रिकवरी सेल बनाने और कार्यबल के गठन से वसूली प्रक्रिया पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। बोर्ड डिजिटल माहौल के इस दौर में बकायों की निगरानी हेतु आईटी क्षमता का दोहन करने में विफल रहा।